



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज) 5080

क्रमांक एफ 2( )पंरावि/प्रशा.1/वि.अ./संस्था/स्टे/सोजत/2022/ जयपुर, दिनांक:- 25-11-22

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका संख्या 12453/2022 में पारित आदेश दिनांक 26.08.2022 की पालना में विभागीय आदेश क्रमांक 3472 दिनांक 23.08.2022 की क्रम संख्या 4 जिसके द्वारा श्रीमती सुनिता परिहार को विकास अधिकारी पंचायत समिति सोजत जिला पाली से आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय पंचायती राज विभाग किया गया था, को निरस्त किया जाता है। श्रीमती सुनिता परिहार यथावत विकास अधिकारी पंचायत समिति सोजत जिला पाली के पद पर पदस्थापित रहेंगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

५७

(घनश्याम शर्मा)

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रविपंरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रविपंरा, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान, जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
8. जिला कलक्टर, पाली।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पाली को प्रेषित कर लेख है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर याचिका संख्या 12453/2022 में तत्काल जवाब प्रस्तुत कर याचिका को निष्फल करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
10. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पाली।
11. संयुक्त विधि परामर्शी, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
13. ए.सी.पी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
14. आदेश पत्रावली।

५७

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)